

02/11/2021

पत्रावली उशासन गावों के संग अभियान 2021 के तहत कॅम्प स्थल आ. नि. प. गां. सेवा केंद्र गा. पं. तैमल में पेश हुई। वकील वादी ने आ. पत्र बाबत दावा विद्वा पेश पेश का निवेदन किया कि पक्षकारान वादपत्र को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः दावा विद्वा फलाने की कृपा करें। वकील वादी का आ. पत्र बाबत दावा विद्वा न्यायहित में स्वीकार किया जाकर दावा इसी स्तर पर Drop किया जाता है। कार्यवाही उच्छरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली पेंसल शुमार होकर नम्बर से काम हो तथा बाद तकमील दाखिल इफ्तार है। यह निर्णय आज दिनांक 02/11/21 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर एवं न्यायालयी मुद्रा सहित मजमें आम बुनाया गया।

(राकेश कुमार) RAS  
उपखण्ड अधिकारी  
गवालेना (रीकर)